न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

नी संख्या 30/14 तारीख रजू– 11/12/2014

ल पुत्र श्री बदरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम खण्डार तहसील खण्डार। ––––प्रार्थी

बनाम

डीलाल पुत्र श्री धूडीलाल जाति मीना निवासी ग्राम खण्डार।
ाम पंचायत खण्डार जरिये ग्राम पंचायत खण्डार।

––अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक–22/02/2016

प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत खण्डार की पत्रावली संख्या 389 निर्णय दिनांक 05/08/2014 के विरूद्व प्रस्तुत की है अप्रार्थी संख्या 1 को 11X31 फुट कुल 341 वर्गफुट अर्थात 38 वर्गगज भूमि को कुल 511/–रू0 लेकर पुख्ता निर्माण स्वीकृति प्रदान की है तथा तथाकथित निर्णय के आधार पर पटटा संख्या 116 संख्या 1 के पक्ष मे जारी किया गया है को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व मातहत की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अप्रार्थी 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा अदालत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने निगरानी मे अंकित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे तर्क दिया कि न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 को जिस जगह का पटटा दिया गया है रास्ता की भूमि है तथा सी.सी.रोड बना हुआ है। आम रास्ते की भूमि पर पटटा दिया जाना नियमो मे वर्जित है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 को जगह का पटटा दिया गया है उसके दक्षिण मे स्वंय का मकान है तथा पूर्व मे प्रार्थी का मकान है व 6–7 फीट भूमि ही रह गई है जिससे आवागमन का रास्ता अवरूद्व हो गया है। अप्रार्थी को पटटा करने से पूर्व आम जनता की ओर से प्रार्थी ने ग्राम पंचायत मे दिनांक 09/09/14 आपत्ति प्रस्तुत जिस पर कोई सुनवाई नही कर अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से साजकर उक्त पटटा जारी लिया जो निरस्त होने योग्य है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि जब अप्रार्थी 1 को निर्णय की पालना मे पटटा जारी किया है उस वक्त अप्रार्थी ग्राम पंचायत मे वार्ड पंच था व अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है जबकि पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 48(3) मे यह है कि किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य पंचायत राज संस्था की किसी बैठक के लिये आने वाले किसी भी प्रश्न की चर्चा मे मतदान नही करेगा या भाग नही लेगा यदि वह ऐसा जिसमे जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी धनीय हित हो ओर जब विचार के लिये तब वह बैठक की अध्यक्षता नही करेगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी 1 के पक्ष मे पटटा जारी कर पंचायत राज नियमो की अवहेलना की है इस कारण भी जारी पटटा है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे पारित निर्णय व निर्णय की पालना मे जारी पटटा निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी ने बहस मे तर्क दिया कि मोके सी.सी. रोड बना है अतः रास्ता नही दबाया है सी.सी.रोड को छोडकर पटटा दिया है। विद्वान वकील ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि जिस जगह का अप्रार्थी को पटटा दिया गया है उस जगह पर

जिला कलेक्टर

निगरानी संख्या 30/14 रामफूल/ठण्डीलाल वगै0

का अतिक्रमण था व अतिक्रमण को हटाकर अप्रार्थी को पटटा दिया है व प्रार्थी का अतिक्रमण हटाने वजह से रजिशवश प्रार्थी ने निगरानी प्रस्तुत की है। विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क कि निर्णय पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर पंच की हैसियत से नही है वरन क्रेता के रूप मे है अतः वकील का यह कथन कि पंचायत राज नियमो की अवहेलना हुई है मिथ्या है। विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस ह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी के पक्ष मे निर्णय/पटटा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस जारी किया है, पंचो से मोका रिपोर्ट व नक्शा तैयार करवाया है व मोका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही होने पर ही र्थी को पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो धार पर निगरानी पेश की है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाकर ग्राम पंचायत पारित निर्णय व उसकी पालना मे जारी पटटा यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस पर गोर किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ठण्डी ने दिनांक 06/14 को एक प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत खण्डार मे इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी का ुख्ता मकान वार्ड नम्बर 1 मे बना हुआ है उसका पटटा बनाया जावे जिस पर दिनांक 05/06/14 के का नक्शा बनाया जाकर मोका रिपोर्ट बनाये जाने के आदेश दिये गये है। दिनांक 23/06/14 मोका रिपोर्ट व नक्शा प्राप्त होने पर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये है व 08/14 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है। निगरानीधीन निर्णय करने के पश्चात दिनांक 09/09/14 को आम जनता मीना मोहल्ला जरिये प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र बाबत पटटा नही बनाने के क्रम मे ग्राम पंचायत मे पेश किया है तथा 15/09/14 को जनता की ओर से एक प्रार्थनापत्र गोविन्दा के कुए के पास अतिक्रमण करने पर हटाने बाबत ग्राम मे पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने 16/10/14 को एक प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत मे इस आशय किया है कि निर्णय हो चुका है अतः नियमानुसार फीस जमा कर निर्णय की पालना मे पटटा जारी जावे जिस पर निगरानीधीन पटटा जारी किया है व 02/11/14 को अप्रार्थी ने उक्त पटटा प्राप्त है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05/08/14 को अप्रार्थी को निर्माण की इजाजत व पटटा जारी करने देश दिये जाने के पश्चात पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत मे 09/09/14 व 15/09/14 प्रार्थनापत्र अर्थात एक प्रार्थनापत्र अप्रार्थी को पटटा जारी नही करने व दूसरा प्रार्थनापत्र अतिक्रमण का पेश हुआ है। उक्त दोनो प्रार्थनापत्र अदालत मातहत की पत्रावली मे संलग्न है परन्तु उक्त दोनो पत्रो का निस्तारण ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा जारी करने से पूर्व किया हो, पत्रावली भी कोई उल्लेख नही है। इससे यह जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा करने से पूर्व उक्त दोनो प्रार्थनापत्रो की आपत्तियो का निस्तारण किये बिना पटटा जारी किया है जो नुकुल प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खण्डार का दिनांक 05/08/14 व तथाकथित निर्णय के आधार पर जारी पटटा निरस्त किया जाकर प्रकरण पंचायत खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाता है कि उक्त दोनो प्रार्थनात्रो की यो का निस्तारण कर प्रकरण मे सुनवाई सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से सार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर